Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



DIPP Point No. 244

Question	Remarks
9a. Inspection reform enablers	For Red Category of industries, Consent is given
• Differentiate compliance inspection	for 5 years with inspection in every 2 years. For
	Orange Category, Consent is given for 10 years
categorization such as Red, Amber, and Green	with inspection in every 3 years for Orange high
under all environment/pollution laws	risk and in 5 years for low risk category.
URL:	For Green Category Industries, it is given for 15
http://www.jspcb.org/pdf/1971.pdf	years with inspection in once in 15 years



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, रॉची दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651--2400850

अधिक संक:-13-06

राँची, विनाक:- 15)6/15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएँगे :-

1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाईयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाऐंगे । इन इकाईयाँ का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा । Consent for 5 years for Red Category Industries with inspection every 2 years

- Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाईयों को दस वर्षों के लिए सहमित आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएँगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाईयों को सहमति आदेश Self
 Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण
 सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाईयों को सहमित आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्मत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

Consent for 10 years for Orange Category Industries with inspection every 3 years for Orange high risk and 5 years for low risk category

Jharkhand State Pollution Control Board Government of Jharkhand



Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को पर्षत् 3) द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद् द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शतों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

Consent for 15 years for **Green Category** Industries with inspection once in 15 years

ज्ञापांक	राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार	राँची / सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड
सरकार, राँची/सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँच	ग्री/निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।	

E0/-(शंजय कुमार शुमन) शहस्य शचिव

西/一 (शंजय कुमार सुमन) शबस्य शचिव

राँची, दिनांक 15 6 | 15 प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद् विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण

पर्षद् / पर्षद् सूचना पट्ट / पर्षद् website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक् काहवाई हेतु प्रेरि

शदस्य शचिव

(शंजय क्रुंग





झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, रॉची दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651--2400850

अधि० सं0:-15-06

राँची, दिनांक:- 15) 6 / 15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्षद् द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :--

- 1) Red Category of Industry :— सभी Red Category के इकाईयों को पाँच वर्षों के लिए सहमित आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाऐंगे । इन इकाईयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- Orange Category of Industry :— सभी Orange Category के इकाईयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएँगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाईयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाईयों को सहमित आदेश (Consent to Operate) third party Inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा।

3) Green Category of Industry :— सभी Green Category की इकाईयों को पर्षद् द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण पर्षद् द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमित पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

> ह0 / -(**शंजय कुमा२ शुमन**) शदस्य शचिव

ज्ञापांक	राँची, दिनांक
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची /	सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड
सरकार, राँची / सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / निदे	शक उद्योग, झारखण्ड सरकार,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।	

ह0 / — (शंजय कुमार शुमन)

शहश्य शचिव

ज्ञापांक 1968
प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद् विश्लेषक/ सभी पदाधिकारियों, ज्ञारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण
पर्षद्/पर्षद् सूचना पट्ट/ पर्षद् website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

शब्स्य शचिव